8546/08 ।। श्री गणेशाय नमः ।। ~~8-59/08~~ (72)

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 200

उत्तर प्रदेश UT

335627

20/-JUN/ नं0 105

16 JUN 2008

1. भूमि का प्रकार – कृषि भूमि
2. मौहल्ला/ग्राम....मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकवा 0.635 हैक्टेयर
4. सम्पत्ति का प्रकार :– कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन....नहीं
6. बोरिंग/कुंआ/अन्य.. नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि..3170000/–.रूपये
8. स्टाम्प हेतु मालियत 3170000/–रूपये
9. स्टाम्प देय 222100/–रूपये
10. सरकारी दर भूमि सड़क से दूर 1200000/रूपये प्रतिएकड़ जो नवीन संशोधित रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 4क्रमांक 29 पर दर्ज है। कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा – प्रथम/द्वितीय

प्रथमपक्ष की संख्या (1)

गोविन्दसिंह भरतलाल भगवानसिंह तोताराम

क्रमांक 64 दिनांक 17/6/08 मूल्य 20000/-

नाम श्री एस जैन पुत्र पी जैन लाल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल S/. उमाशंकर

सं- (47)

गोविन्द नगर मथुरा

B. K. Chaturvedi
Assistant Cashier
Treasury Office MATHUR

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु | बीस हजार रुपये | RUPEES 20000 रुपये | INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 335628

(2)

<u>विक्रेता का विवरण</u>

गोविन्द सिंह व भरतलाल व भगवान सिंह व तोताराम पुत्रगण श्री हरीसिंह निवासीगण सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व श्री राहुल मंगला पुत्र श्री मुरारीलाल अग्रवाल निवासी 82, डी0, कृष्णानगर मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

द्वितीयपक्ष की संख्या (1)

<u>क्रेता का विवरण</u>

एस0जे0पी0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुर

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

335626

उ० प्र० शासन
कोषागार, मथुरा

16 JUN 2008

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा

(3)

हमकि गोविन्द सिंह व भरतलाल व भगवान सिंह व तोताराम पुत्रगण श्री हरीसिंह निवासीगण सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व श्री राहुल मंगला पुत्र श्री मुरारीलाल अग्रवाल निवासी 82, डी0, कृष्णानगर मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

गोविन्दसिंह भरतलाल भगवानसिंह तोताराम

Rahul

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

335625

16 JUN 2008

(4)

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नबर–106 व खसरा नंबर–105 रकवा 0.635 हैक्टेयर लगानी 14.85 रूपया सालाना बाकै मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिलामथुरा मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम बहैसियत्न मालिक दर्ज है। विक्रेता प्रथमपक्ष का ही कब्जा है और जिसके विषय में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता

गोविन्दसिंह भरतलाल भगवानसिंह तोताराम

Rahul

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

335624

16 JUN 2008

(5)

प्रथमपक्ष के इस बैनामा करने में कोई रूकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष की ही है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

335623

16 JUN 2008

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा

(6)

समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रूपये को कहीं भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी। प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी के बेचने का मुहायदा वै दिनांक–18.9.2006 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर–1 जिल्द 3867 के सफा 381/412 नंबर–10292 पर हुई द्वितीयपक्ष से तय किया था मुहायदा वै की शर्तों के अनुसार व उसके अनुपालन में यह विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष को शामिल कर उसकी

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हज़ार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

Rs 20000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 335622

कोषागार, मथुरा
16 JUN 2008
वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा

सहमति से किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष व मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 3170000/—इकत्तीस लाख सत्तर हजार रूपये जिसके आधे

गोविन्दसिंह भरतलाल भगवानसिंह तोताराम

Rahul

Bhanwal

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

335621

कोषागार, मथुरा
16 JUN 2008
वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा

1585000/–पन्द्रह लाख पिच्यासी हजार रूपया होते हैं। बदस्त एस0जे0पी0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का 800000/–रूपया खरीदार से इलाहाबाद बैंक होलीगेट मथुरा शाखा के चार किता चेक प्रथम संख्या–921290 द्वितीय नंबर–921291

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 335620

उ० प्र० शासन
कोषागार
16 JUN 2008
वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा

(9)

व तृतीय नंबर–921292 व चतुर्थ नंबर–921293 प्रत्येक तादादी 200000/–रूपये द्वारा पाये व 2370000/–रूपये नकद पहले प्राप्त कर बेची गई उक्त आराजी पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बेची गई

गोविन्दसिंह ... भगवानसिंह तोताराम

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 335619

16 JUN 2008
वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा

(10)

उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब विक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे

गोविन्दसिंह भरतलाल भगवानसिंह तोताराम

Rohit

Agarwal

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

335618

कोषागार, मथुरा

16 JUN 2008

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा

11)

है और खरीदार वह सब विक्रेता प्रथमपक्ष से व उसके वारिसानों व उसकी चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्चे के बसूल करलें । इसमें प्रथमपक्ष को कोई उज्र नहीं होगा। आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है ।

गोविन्दसिंह पदमलाल भगवानसिंह तोताराम

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 272918

विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके

गोविन्दसिंह भरतलाल भगवानसिंह तोताराम

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 272919

निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है। । तसदीकी मुख्तारनामा आम दि0–2.8.2006 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर–6 खण्ड 123 के सफा 105/108 पर नंबर–441 पर दिनांक–2.8.2006 हुई

गोविन्द सिंह हरलाल भगवान सिंह तोताराम

Rohul

Hamawal

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 272920

है रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज बाजार, मथुरा को उक्त राम अग्रवाल पुत्र श्री उमांशकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर

गोविन्दसिंह भरतलाल भगवानसिंह तोताराम

Rahul

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 283057

मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 272921

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक–28.7.2008

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा ।

क्रय का दिनांक 17-6-08 ... 328
किस कार्य हेतु .... 10321 /km
नाम व पता ....
हस्ताक्षर ....

अनुज्ञप्त ... प्रसाद ...
लाइसेन्स नम्बर 18/86
लाइसेन्स की अवधि 31.3.200
कार्यालय जिलाधिकारी मथुरा

कोषागार, मथुरा
सिंगल लॉक शील
22 MAY 2008
हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष

आज दिनांक **29/07/2008** को

वही सं **1** जिल्द सं **5163**

पृष्ठ सं. **91** से **124** पर कमांक **8546**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मुकेश श्रीवास्तव

उप-निबन्धक

मथुरा-प्रथम

29/7/2008

10292/06

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON

03CC 932795

वरिष्ठ कोषाधिकारी
11 SEP 2006

!! जय श्री गिरिराज !!

इकरारनामा आराजी
स्थित- मौजा सतोहा असगरपुर
सौदा 30,11,800/- रूपये
ब्याना 7,52,950/- रूपये
स्टाम्प देय- 1,20,475/-रूपये
त्राधिकार उपनिबन्धक प्रथम मथुरा

****

हमकि गोबिन्द सिंह व भरतलाल व भगवान सिंह व तोताराम पुत्रगण श्री हरीसिंह निवासीगण- ग्राम सतोहा असगरपुर, तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व राहुलमंगला पुत्र श्री मुरारीलाल अग्रवाल निवासी- 82डी, कृष्णानगर, तहसील व जिला मथुरा क्रेता द्वितीयपक्ष पक्षकारगण इस लेखपत्र के हैं । विदित

गोबिन्दसिंह भरतलाल भगवानसिंह तोताराम Rahul

क्रमांक 4 दिनांक 18-7 मूल्य 2-000

नाम श्री गोविन्द पुत्र हरि सिंह ...

पता ...

माया प्रकाश ...
उप ... कोषागार, मथुरा

... 75 2000
3000 ...

यह कि गोविन्द सिंह व भरत लाल व भगवान सिंह व तोताराम पुत्रगण श्री हरिसिंह निवासीगण ग्राम ... तहसील मथुरा को 250000/ दो लाख पचास हजार रुपया नगद दिया समय 18-4-07 से 18-10-07 समय दिया जाता है।

भरतलाल भगवानसिंह गोविन्दसिंह तोताराम

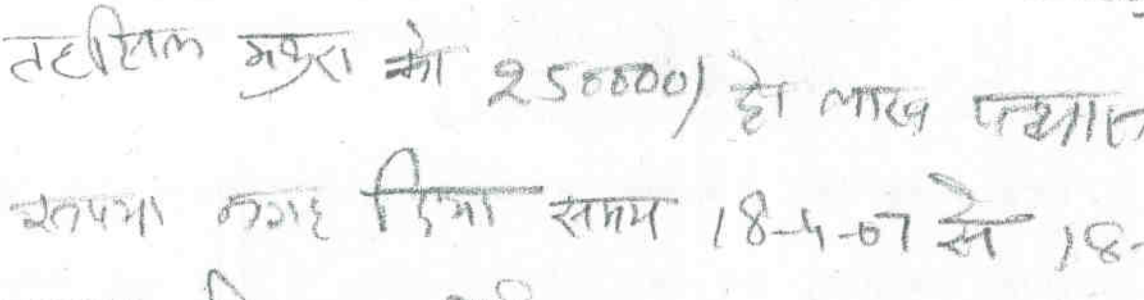

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

03CC 932794

{2}

होकि आराजी भूमिधरी नकल खतौनी वर्ष 1412-1417 फसली के अनुसार खतौनी खाता संख्या 106 खसरा नम्बर 105 रकवा 0.635 हैक्टेयर लगानी 14.85 रुपये सालाना बाकै मौजा सतोहा असगरपुर, तहसील व जिला मथुरा। सम्पूर्ण अंश आराजी मिलकीयत व खाना

गोविन्दसिंह भरतलाल भगवानसिंह तोताराम Rahul

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

03CC 932793

11 SEP 2006

{3}

कागजात माल प्रथमपक्ष है। जिसके हम प्रथमपक्ष मालिक व भूमिधर हैं। तथा विक्रेता प्रथमपक्ष ही उक्त आराजी के मालिक काबिज व दखील है। उक्त आराजी हर प्रकार के झगड़े झंझट व कर्जे आदि से पाक व साफ है कहीं भी रहन व गिरवी आदि नहीं हैं।

गोविन्द सिंह भरत लाल जगपाल सिंह सीताराम Rohit

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

000089

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा
11 SEP 2006
हस्ताक्षर-वरि. कोषाधिकारी
मथुरा

{4}

उक्त आराजी में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम दर्ज कागजात सरकारी है सिवाय प्रथमपक्ष के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और प्रथमपक्ष को सम्पूर्ण अंश

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

000088

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा
11 SEP 2006
हस्ताक्षर-वरि. कोषाधिकारी
मथुरा

{5}

आराजी की बावत हर प्रकार के मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकारात प्राप्त हैं।

अतः लाभार्थ विक्रेता प्रथमपक्ष उक्त सम्पूर्ण अंश आराजी भूमि के बेचने का सौदा व कीमत

गोविन्दसिंह भरतलाल भगवानसिंह तोताराम Rohit

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

000087

वरिष्ठ कोषाधिकारी
11 SEP 2006
हस्ताक्षर-वरि.कोषाधिकारी
मथुरा

{6}

30,11,800/- तीस लाख ग्यारह हज़ार आठ सौ रूपये में **राहुलमंगला पुत्र श्री मुरारीलाल निवासी- 82डी, कृष्णानगर, तहसील व जिला मथुरा क्रेता द्वितीयपक्ष के** साथ नीचे लिखी शर्तो के अनुसार तय हो गया है। जिसके दोनों पक्ष व वारिसान दोनों पक्ष सदैव पाबन्द होंगे।

Rahul

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

000086

11 SEP 2006

{7}

1– यह कि प्रथमपक्ष ने ब्याने में 7,52,950/–सात लाख बावन हजार नौ सौ पचास रूपये द्वितीयपक्ष से नकद वक्त रजिस्ट्री इकरारनामा द्वितीयपक्ष से प्राप्त कर लिये है बाकी रूपये वक्त रजिस्ट्री बैनामा प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष से प्राप्त करेंगे।

गोविन्दसिंह भरतलाल भगवानसिंह तोताराम Rahul

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

000085

वरिष्ठ कोषाधिकारी
11 SEP 2006
मथुरा

{8}

2- यह कि खर्चा बैनामा, स्टाम्प फीस आदि सब खरीदार के जिम्मे तय हुआ है।

3- यह कि म्याद करने बैनामा 12 माह तय हुई है। उक्त म्याद हम प्रथमपक्ष विक्रेता

गोविन्दसिंह भरतलाल तोताराम

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

000173

वरिष्ठ कोषाधिकारी
11 SEP 2006
हस्ताक्षर-वरि. कोषाधिकारी
मथुरा

{9}

अपनी सम्पूर्ण अंश आराजी की बाबत समस्त कानूनी पूर्ति करके व मौके पर पैमाइश कराकर व हर प्रकार से दिलजमई कराकर व उसकी लिखित सूचना खरीदार को देकर अपनी

गोविन्दसिंह भरतलाल जगवानसिंह तोताराम Rahul

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

0001..

वरिष्ठ कोषाधिकारी

11 SEP 2006

हस्ताक्षर-वरि.कोषाधिकारी

मथुरा

{10}

उक्त आराजी का बैनामा खरीदार के हक में या खरीदार चाहें जिसके हक में कर देंगे।

अगर हम प्रथमपक्ष उक्त म्याद में उक्त आराजी का बैनामा खरीदार या उसके नामित व्यक्ति

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

000176

वरिष्ठ कोषाधिकारी

11 SEP 2006

हस्ताक्षर-वरि. कोषाधिकारी

मथुरा

के हक में न करें तो खरीदार द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना ब्यानें का रूपया मुजरा करते हुये बाजाव्ता बजरिये अदालत प्रथमपक्ष से बैनामा रजिस्ट्री करा लें। ऐसी दशा में खरीदार के समस्त हर्जे-खर्चे की पूरी जिम्मेदारी हम विक्रेता प्रथमपक्ष की होगी। जिसको द्वितीयपक्ष नियमानुसार वसूल करने को सक्षम रहेंगे।

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

000223

वरिष्ठ कोषाधिकारी
11 SEP 2006
हस्ताक्षर-वरि. कोषाधिकारी
मथुरा

{12}

4– यह कि प्रथमपक्ष समस्त कानूनी पूर्ति करके व उसकी लिखित सूचना खरीदार को देकर उक्त आराजी का बैनामा खरीदार द्वितीयपक्ष ने अपने हक में या अपने नामित व्यक्ति के हक में न कराया तो ब्यानें का रूपया जब्त हो जायेगा।

गोविन्दसिंह भरतलाल ... ... Rahul

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 220427

15 SEP 2008

{13}

5– यह कि नुक्श कानूनी पायी जाने की दशा में हम विक्रेता प्रथमपक्ष जुर्म नताइज कानूनी का जिम्मेदार रहेंगे व द्वितीयपक्ष से प्राप्त ब्यानें का रूपया मय हर्जा–खर्चा लागत व सूद के द्वितीयपक्ष को वापिस कर देंगे।

गोविन्दसिंह भरतलाल जगदानसिंह तोताराम Rohit

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 220428

वरिष्ठ कोषाधिकारी
15 SEP 2006
हस्ताक्षर-वरि. कोषाधिकारी
मथुरा

{14}

6- यह कि उक्त आराजी का कब्जा वक्त बैनामा द्वितीयपक्ष को दिया जायेगा।

7- यह कि दिया गया स्टाम्प शुल्क नियमानुसार विक्रय पत्र में समायोजित किया जायेगा,

गोविन्दसिंह भरतलाल [illegible] [illegible] Rahul

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 220429

वरिष्ठ कोषाधिकारी
15 SEP 2006

{15}

चाहे विक्रय पत्र क्रेता द्वितीयपक्ष के हक में हो या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के हक में हों। कोई पक्ष आपत्ति नहीं करेगा।

अतः यह इकरारनामा मुहायदा वै कब्जा रहित अपनी राजीखुशी से लिख दिया कि

गोविन्दसिंह भरतलाल भगवानसिंह तोताराम Rahul

500 Rs.

प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। उक्त प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार गवाहों के समक्ष पढ़ाकर व सुनाकर टाइप व ड्राफ्ट किया गया है।

तहरीर दिनांक - 18.09.2006
कम्प्यूटराइज्ड किया - दीपक, नीलम फोटोस्टेट, मथुरा।
ड्राफ्ट किया- मुकेश कुमार शर्मा, एडवोकेट, मथुरा।

गोविन्दसिंह भरतलाल भगवानसिंह तोताराम Rahul

साक्षी - हरप्रसाद पुत्र श्री रामस्वरूप
निवासी - सतोहा तह० बाजे.
मथुरा
हरप्रसाद

साक्षी - घनश्याम पुत्र श्री [illegible]
निवासी - गुडरसु तह० बाजे.
मथुरा
घनश्याम

क्र० सं० 8 दि० 18-09-06 मूल्य 5000
नाम श्री [illegible]
निवासी [illegible]

[illegible] /2003/04
[illegible] कार्यालय, [illegible]

TREASURY
14 SEP 2006
कोषागार, मथुरा

आज दिनांक **18/09/2006** को
बही सं **1** जिल्द सं **3867**
पृष्ठ सं **381** से **412** पर कमांक **10292**
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मुकेश श्रीवास्तव
उप निबन्धक
मथुरा
18/9/2006

खसरा

नाम सतोहा असगरपुर परगना व तहसील ... जिला मथुरा सन् १४१५ फसली

खेती की संख्या	क्षेत्रफल हैक्टे० में या बन्दी बस्ती बीघा में	खतौनी खाते की संख्या	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खाते दारों का नाम आदि कोई हो	सिंचाई की रीति और कुएँ	कृषक भूमि फसली वाली का क्षेत्रफल — खरीफ क्षेत्रफल — फसल का नाम	खरीफ — सिंचा हुआ	खरीफ — अनसिंचा	रबी क्षेत्रफल — फसल का नाम	रबी — सिंचा हुआ	रबी — अनसिंचा	जायद क्षेत्रफल — फसल का नाम	जायद — सिंचा हुआ	जायद — अनसिंचा	दो फसली क्षेत्रफल — सिंचा हुआ	दो फसली — अनसिंचा	मिलान खसरा के स्तम्भों के अनुसार आकृषिक (बिना फसल वाली भूमि का ब्यौरा) — भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल	प्रत्येक खेत के पूरे बढ़े हुये वृक्षों की संख्या और किस्म	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
९५५	०२०२	३६३	प्रीतमसिंह व पदमसिंह किशनसिंह व मोहनसिंह श्रीमती हरदेवी	X	बोम्बे	—	—	—	गेहूँ	०२०२	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X

सत्य प्रतिलिपि मिसल मुताबिक मैं प्राप्त की।

Bhardwaj 28-7-08 ले० सतोहा

खसरा

नाम सतोहा असमपुर परगना व तहसील व जिला मथुरा सन् १४१४ फसली

खेती की संख्या	क्षेत्रफल हैक्टे० में या बन्दी बस्ती बीघा में	खतौनी खाते की संख्या	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खाते दारों का नाम आदि कोई हो	सिंचाई की रीति और कुऐं	कृषक भूमि फसली वाली का क्षेत्रफल: खरीफ क्षेत्रफल — फसल का नाम	खरीफ — सिंचा हुआ	खरीफ — अनसिंचा	रबी क्षेत्रफल — फसल का नाम	रबी — सिंचा हुआ	रबी — अनसिंचा	जायद क्षेत्रफल — फसल का नाम	जायद — सिंचा हुआ	जायद — अनसिंचा	दो फसली क्षेत्रफल — सिंचा हुआ	दो फसली — अनसिंचा	मिलान खसरा के स्तम्भों के अनुसार आकृषिक (बिना फसल वाली भूमि का ब्यौरा) — भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल	प्रत्येक खेत के पूरे बढ़े हुये वृक्षों की संख्या और किस्म	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
१०५	०-६३५	१०६	गोविन्दसिंह व भरतलाल व भगवानसिंह व सीताराम	X	ट्यूबवेल	—	—	—	गेहूँ३०	०-६३५	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X

सत्य प्रतिलिपि फीस मुताबिक मैनुअल प्राप्त की

Bhardwaj लेख० सतोहा
०४-२-०८

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 07010200101 ग्राम का नाम : सतोहा असगर पुर परगना : मथुरा तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1412-1417 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे .)	खातेदार व्दारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सांराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।								
00106	गोविन्दसिह	हरीसिह	नि. ग्राम	1409फ	105	0.6350			
	भरतलाल	हरीसिह	नि. ग्राम						
	भगवानसिह	हरीसिह	नि. ग्राम						
	तोताराम	हरीसिह	नि. ग्राम						
				कुल गाटे : 1	कुल क्षे :	0.6350	14.85		

हस्ताक्षर

29

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या–221 /2011–2012

एस0जे00पी0 ग्लोबल लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल

बनाम सरकार

धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0

मौजा सतोहा असगरपुर

आदेश

प्रार्थी एस0जे0पी0 ग्लोबल लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी श्री जमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा तहसील व जिला मथुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक–31.5.2012 में अंकित किया गया है कि वह मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या 106 खसरा संख्या 105 रकवा 0.635हे. भूराजस्व 14.85 रुपये, खाता संख्या 310 खसरा संख्या 146मि. रकवा 0.235हे., खसरा संख्या 148मि. रकवा 0.337हे. भूराजस्व 7.10 रुपये व खाता संख्या 243 खसरा संख्या 59मि.रकवा 2.757हे. भूराजस्व 52.60 रुपये के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात हैं। उक्त भूमि कृषि, बागवानी, पशुपालन व कुक्कुटपालन आदि के उपयोग में नहीं लायी जा रही है। अपने कथन की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई हैं ।

उक्त प्रार्थना–पत्र पर नायब तहसीलदार, मथुरा द्वारा संस्तुति आख्या दिनांक–8.6..2012 प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित किया गया है कि वह मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या 106 खसरा संख्या 105 रकवा 0.635हे. भूराजस्व 14.85 रुपये, खाता संख्या 310 खसरा संख्या 146मि. रकवा 0.235हे., खसरा संख्या 148मि. रकवा 0.337हे. भूराजस्व 7.10 रुपये व खाता संख्या 243 खसरा संख्या 59मि.रकवा 2.757हे. भूराजस्व 52.60 रुपये की एस0जे0पी0 ग्लोबल लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी श्री जमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा तहसील व जिला मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात हैं। उक्त भूमि कृषि, बागवानी, पशुपालन व कुक्कुटपालन आदि के उपयोग में नहीं लायी जा रही है। प्रस्तावित भूमि आवास विकास, विकास प्राधिकरण एवं किसी अन्य सरकारी योजना में अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। उक्त भूमि में कोई गांव सभा भूमि सम्मिलित नहीं है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा उक्त भूमि को अकृषिक घोषित करने की संस्तुति की गई है।

नायब तहसीलदार, मथुरा की संस्तुति आख्या दिनांक–8.6.2012 के आधार पर वह मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या 106 खसरा संख्या 105 रकवा 0.635हे. भूराजस्व 14.85 रुपये, खाता संख्या 310 खसरा संख्या 146मि. रकवा 0.235हे., खसरा संख्या 148मि. रकवा 0.337हे. भूराजस्व 7.10 रुपये व खाता संख्या 243 खसरा संख्या 59मि.रकवा 2.757हे. भूराजस्व 52.60 रुपये को उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ गैर कृषिक प्रयोजन हेतु उद्घोषित किया जाता है कि यह उद्घोषणा उक्त भूमि के कृषिक उपयोग में लाये जाने पर तथा मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के प्रवृत्त नियमो/निर्देशों एवं अन्य किसी विधिक प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति में स्वतः निरस्त मानी जायेगी। तहसीलदार, मथुरा की संस्तुति आख्या आदेश का भाग रहेगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार, मथुरा इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उक्त घोषणा का राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज कराएं तथा यदि उक्त भूमि भविष्य में कृषि कार्य के प्रयोग में लायी जाती है तो तत्काल आख्या प्रस्तुत करे। उक्त आदेश की एक प्रतिलिपि उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखों में पंजीकृत करने हेतु तथा एक प्रति सचिव मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

13/06/12

दिनांक–

(अमर पाल सिंह)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

यह आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया ।

दिनांक–

(अमर पाल सिंह)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

कोर्ट फीस COURT FEE Rs.5 दो रुपये TWO RUPEES INDIA

सत्य प्रतिलिपि
सहायक, उपजिलाधिकारी
मथुरा
14.6.2012